फर्द अहकाम

अज अदालत संभागीय आयुक्त जोधपुर

हरपाल शास्त्री बनाम राज0 सरकार

किस्म मुकदमा अन्तर्गत धारा 75 राज0भू राजस्व अधिनियम राजस्व अपील संख्या 57 /2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25.06.2024	पत्रावली बाद जांच कार्यालय रिपोर्ट पश्चात उज्र मियाद/उज्र एतराज दर्ज रजिस्टर की गई। वकील अपीलान्ट उपस्थित। उक्त अपील राज. भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा, जिला बालोतरा के द्वारा धारा 130, 131, 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रकरण संख्या 11/2017 अनवान तहसीलदार पचपदरा बनाम हरपाल वगैराह में पारित आदेश दिनांक 11.02.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। उपस्थित अधिवक्ता की स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई तथा अपील के साथ प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया गया एवं अपीलांट अधिवक्ता की स्थगन के संबंध मे चाही गई इस्तदुआ पर भी मनन किया जिसके आधार पर अपीलान्ट की अपील को आंशिक स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा, जिला बालोतरा के द्वारा प्रकरण संख्या 11/2017 अनवान तहसीलदार पचपदरा बनाम हरपाल वगैराह में पारित आदेश दिनांक 11.02.2017 में अंकित ग्राम असाडा में अपीलान्ट के खसरान संख्या 2663/185 की रकबा भूमि की हद तक निरस्त किया जाता है तथा उपखण्ड अधिकारी बालोतरा को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्टस को अपने खेत खसरान भूमि में सम्बन्ध में अपना पक्ष व सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये जाने एवं वादग्रस्त खसरान भूमि की उभय पक्षकारान की उपस्थिती में मौका जॉच करवाकर मौका रिपोर्ट तलब करने के उपरान्त यदि अपीलाधीन आदेश में संशोधन की आवश्यकता हो तो पुनः यथोचित आदेश पारित करें। कोई भी पक्ष उपरोक्त कदीमी रास्ते को बन्द नहीं करें। पत्रावली इसी स्तर पर निर्णित होकर नम्बर से कम की जावें। सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर	

संभागीय आयुक्त
जोधपुर